413089

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	लखनऊ
3.	ग्राम	:	अहमामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	खसरा नं0 846
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.337 हेक्टेअर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

413090

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	सुल्तानपुर रोड से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	कोई पेड़ नहीं है।
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	कुछ भी नहीं है।
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 17,48,019/-
11.	मालियत	:	रु0 6,59,150/-
12.	स्टाम्प	:	रु0 1,14,300/-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

413091

-1-

चौहद्दी

<u>चौहद्दी खसरा संख्या-846</u>

पूरब : खसरा संख्या-845

पश्चिम : खसरा संख्या-847

उत्तर : खसरा संख्या-839

दक्षिण : खसरा संख्या-866

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 4J3092

प्रथम पक्ष की संख्या–01		द्वितीय पक्ष की संख्या–01
विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
शम्भू पुत्र झुन्नन, निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ। व्यवसाय – कृषि	:	धर्मेन्द्र पुत्र जगराम कोरी, निवासी–मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवाबगंज, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0। व्यवसाय – कृषि

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES

Rs 20000

299616

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख बाबू पुत्र छकल, निवासी–ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला–लखनऊ जिसे आगे विक्रेता कहा गया है, हमारे धर्मेन्द्र पुत्र जयराम कोरी, निवासी–मिर्जापुर,

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 575322

मिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

जो कि विक्रेता मालिक, काबिज व काबिज आराजी भूमि भूमि खसरा नं0 846 रकबा 0.337 हेक्टेयर, स्थित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 878321

ग्राम-अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ, का है, जो कि उसे वरासतन प्राप्त हुई है, जो कि खतौनी संख्या-00377 के अनुसार राजस्व अभिलेखों में विक्रेता के नाम का अमल दरामद हो गया है, विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 878320

बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है। कि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 578316

उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 876313

अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 878314

फलस्वरूप रू० 17,48,019/– (रुपया सत्रह लाख अड़तालिस हजार उन्नीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 878315

विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को बतौर बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 878317

27 JUL 2007

वसूली करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 878318

विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेगी एवं न ही कोई मांग कर सकेगी। और यदि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 678319

विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 198657

इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता व उसके वारिसान की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 198658

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 198659

उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगें, विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 17,50,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब निर्धारित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0 498660

है, जिसके अनुसार विक्रीत रकबा 0.337 हेक्टेअर की मालियत रू0 6,59,750/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 1,74,900/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 393048

3 AUG 20..

है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि सुलतानपुर रोड से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 560356

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 560357

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

आराजी कृषि भूमि खसरा नं0 846 रकबा 0.337 हेक्टेयर, स्थित ग्राम–अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible]

सत्रह लाख अड़तालिस हजार उन्नीस मात्र) विक्रेता ने क्रेता से
प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक: 04.06.2007

गवाह

1.

2.

विक्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अनवार हुसैन)

एडवोकेट

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 560358

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 17,48,019/- (रूपया सत्रह लाख अड़तालिस हजार उन्नीस मात्र) द्वारा चेक संख्या-570899 दिनांकित 04.08.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा- हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 17,48,019/- (रूपया

विक्रय पत्र

1,740,819.00	800,000.00	5,080.00	40	5,120.00	[illegible]
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	[illegible]

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी स्थायी [illegible], लखनऊ

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4/6/2007 समय 4:28PM

बजे निबंध हेतु पेश किया।

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

4/6/2007

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible], लखनऊ

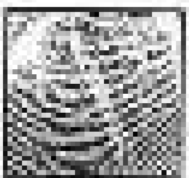

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

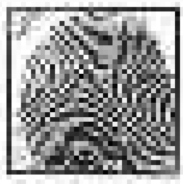

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुनील कुमार मिश्रा

पुत्र श्री डी.डी. मिश्रा

पेशा वकालत

निवासी [illegible], लखनऊ

व श्री राम किशोर

पुत्र श्री [illegible]

पेशा वकालत

निवासी [illegible], लखनऊ

ने की।

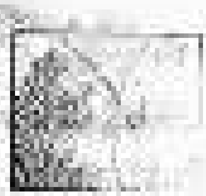

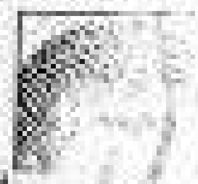

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

4/6/2007

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा - 32 (ए) के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

प्रस्तुतकर्ता / [illegible] के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :- [illegible]

बांये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 7544 Year : 2003 Book No.

0201 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

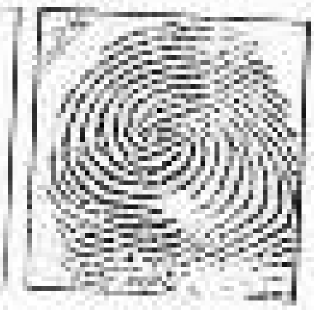

नक्शा नजरी

ग्राम :

खसरा संख्या-

विक्रेता :

क्रेता :

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

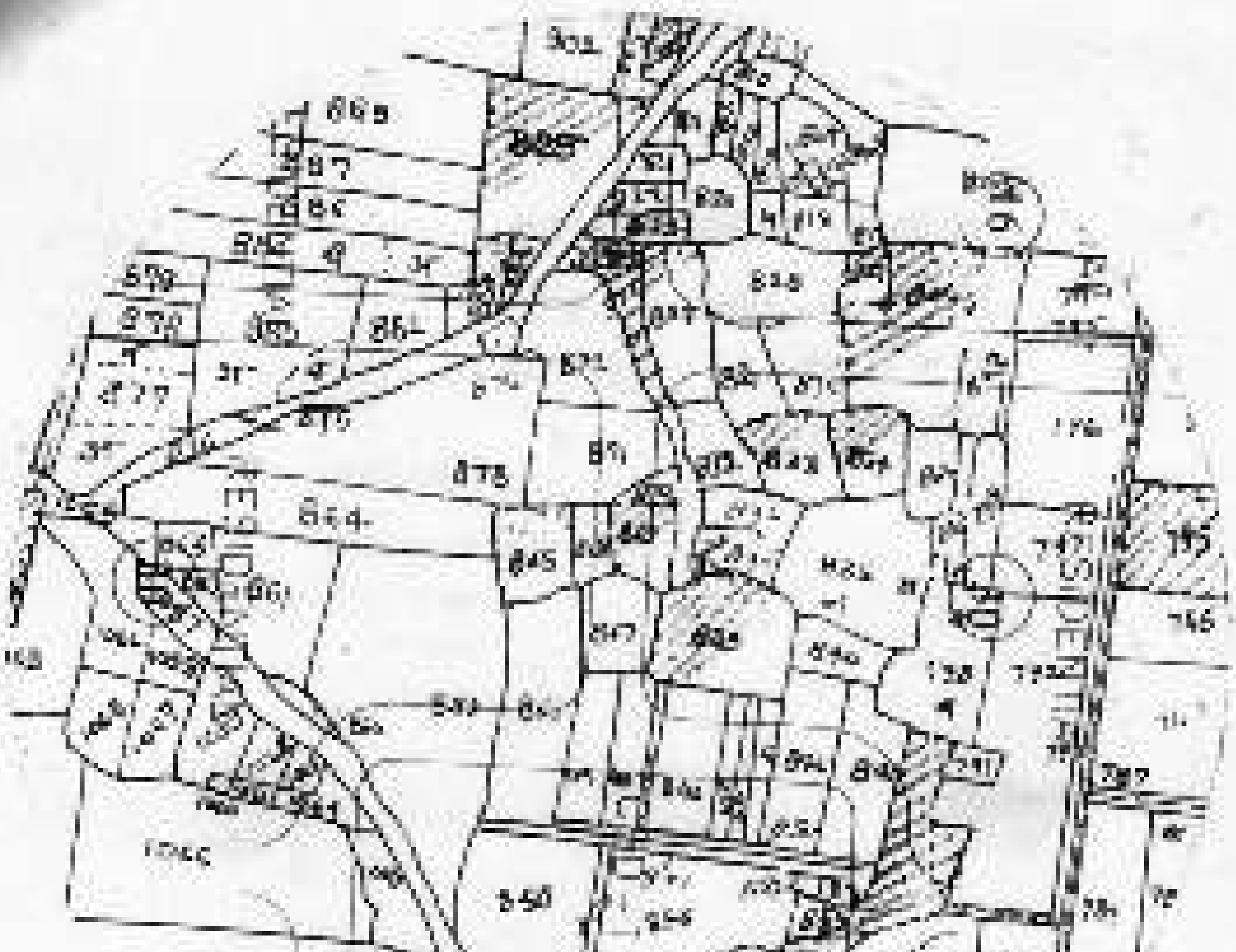

आज दिनांक 04/08/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 6814

पृष्ठ सं 205 से 256 पर क्रमांक 2341

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

एच.एन. [illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

लखनऊ

[illegible]